

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०- से

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, विविध वाद सं०- 23/सन-2025- 26

केस का प्रकार - विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
04.06.2025	—:आदेश: — यह विविध वाद अभिलेख सं०- 23/2025- 26 आवेदिका उषा देवी, पति- उमेश राय, साकिन- बादीडीह, थाना- धनवार, जिला- गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०- 09, श्री नरेश कुमार के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- करमाटॉड, थाना नं०- 19 के खाता सं०- 17, 22, प्लॉट नं०- 195, 199 के रकवा- 08 डी० भूमि रैतती खाते की भूमि है। ऑनलाईन जमाबंदी के उक्त खाता, प्लॉट, रकवा को थाना नं०- 19 के जगह थाना नं०- 169 में गलती से चढ़ गया है। जिसे सुधार की आवश्यकता है। उक्त ऑनलाईन जमाबंदी को थाना नं०- 169 में चढ़ गया है उसे विलोपित करते हुए थाना नं०- 19 में उक्त जमाबंदी को चढ़ाया जा सकता है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में धनवार अंचल अन्तर्गत मौजा- करमाटॉड/169 में कायम ऑनलाईन जमाबंदी जिसका भाग सं०- 02, पृष्ठ सं०- 36, है को विलोपित करने तथा विलोपित किए गए जमाबंदी को धनवार अंचल अन्तर्गत मौजा- करमाटॉड/19 के ऑनलाईन पंजी- ॥ के भाग सं०- 02 पृष्ठ सं०- 36 में जमाबंदी कायम करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 09, श्री नरेश कुमार/अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- करमाटॉड/169 में कायम ऑनलाईन जमाबंदी जिसका भाग सं०- 02, पृष्ठ सं०- 36, है को विलोपित करने तथा विलोपित किए गए जमाबंदी को धनवार अंचल अन्तर्गत मौजा- करमाटॉड/19 के ऑनलाईन पंजी- ॥ के भाग सं०- 02 पृष्ठ सं०- 36 में जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।	

अंचल अधिकारी,
धनवार।

अंचल अधिकारी,
धनवार।